आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : आजमगढ़, जनपद : आजमगढ़, तहसील : निजामाबाद

वाद संख्या :- 0073/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202116520200073

अबूशाद अहमद पुत्र नूरमोहम्मद, मदनमोहन पुत्र दलसिंगार, श्रीमती बदामी देवी पत्नी दलसिंगार, श्रीराम पुत्र तपसी, श्रीमती रीता देवी पत्नी अशोक कुमार, रामअचल व रामरतन पुत्रगण दल्लू, श्रीमती शमा परवीन पत्नी मो०सोयब बनाम उ० प्र० सरकार

अन्तर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी अबूशाद अहमद पुत्र श्री नूरमोहम्मद निवासी ग्राम–खण्डवारी, परगना व तहसील–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़ व मदनमोहन पुत्र श्री दलसिंगार निवासी ग्राम–बनगाँव, परगना व तहसील–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़ व श्रीमती बदामी देवी पत्नी श्री दलसिंगार निवासिनी ग्राम–बनगाँव, परगना व तहसील–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़ व श्रीराम पुत्र श्री तपसी निवासी ग्राम व पोस्ट–असीलपुर, परगना व तहसील–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़ व श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री अशोक कुमार ग्राम व पोस्ट–एलवल, परगना व तहसील–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़ व श्री रामअचल व रामरतन पुत्रगण श्री दल्लू निवासी ग्राम व पोस्ट–क्यामुद्दीनपट्टी उर्फ परसहा, परगना व तहसील–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़ व श्रीमती शमा परवीन पत्नी मो0 सोयब निवासिनी ग्राम व पोस्ट–छाऊ, परगना व तहसील–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़ द्वारा ग्राम–बनगाँव के खाता संख्या–002 के गाटा संख्या–282 रकबा–0.890 हे0 के सम्बन्ध में वाद दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि वादी आराजी उपरोक्त का भूमिधर काबिज दाखिल बैनामा जिसपर वादी बतौर भूमिधर काबिज दाखिल है तथा इस भूमि को वादी ने पैतृक खतौनी हासिल किया है वादी वादग्रस्त भूमि को आबादी घोषित करना चाहता है। जो कि नियमानुसार हम अबूशाद अहमद पुत्र श्री नूरमोहम्मद व मदनमोहन पुत्र श्री दलसिंगार व श्रीमती बदामी देवी पत्नी श्री दलसिंगार व श्रीराम पुत्र श्री तपसी व श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री अशोक कुमार व श्री रामअचल व रामरतन पुत्रगण श्री दल्लू व श्रीमती शमा परवीन पत्नी मो0 सोयब कायम है। अन्त में कहा गया कि वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाय।

प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार से जाँच आख्या प्राप्त की गयी उनके द्वारा दिनांक 02.09.2021 रिपोर्ट दी गयी कि खाता संख्या–002 के गाटा संख्या–282 रकबा–0.890 हे0 को अकृषिक घोषित करने हेतु संस्तुति की गयी है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया नायब तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि खाता संख्या–002 के गाटा संख्या–282 रकबा–0.890 हे0 में मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम–बनगाँव के खाता संख्या–002 के गाटा संख्या–282 रकबा–0.890 हे0 भूमि अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है आदेश की एक प्रति उप निबन्धक निजामाबाद को नियमानुसार पंजीयन हेतु भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

8/9/21

दिनांक : 8/9/21

(रवि प्रसाद)
उपजिलाधिकारी
निजामाबाद–आजमगढ़